

上
部

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर अरोपित अर्थदण्ड का विवरण

प्रियकार लालो-^{३८७०२१} २०२३

क्र०	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण विस्ते विशेष दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड से पारित दण्ड के विशेष विभाग	दण्ड से पारित दण्ड के विशेष विभाग द्वारा वस्तु की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति (यदि कहीं हो)	विभाग द्वारा जन- सूचना अधिकारियों के लिए	विभाग द्वारा जन- सूचना अधिकारियों के लिए	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही अनुबंधित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	राज्य कर विभाग, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री	श्री रमा शंकर, उपयुक्त राज्य कर	11-07-2018	राज्य विभाग द्वारा तत्कालीन विभाग द्वारा जन- सूचना अधिकारी की गयी कार्यवाही की स्थिति (यदि कहीं हो)	श्री वर्मचिर चिह्ने द्वारा मांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आवेदन लेखनक ने आदेश दिनांक - 11.07.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुख्यमंत्री पर वार्ता को सूचना उत्तराख न करने के सम्बन्ध में अतिपूर्ति ₹0- 5000.00 का अर्धदण्ड दिनांक 11-07- 2018 को डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुख्यमंत्री पर लगाया गया है, विभाग के सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिशनर के बेतन से उक्त अतिपूर्ति अन्तराशि रुपये 5000-00 की कार्यतीते हेतु डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इत्या को डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुख्यमंत्री के लिए संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा अतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साथ उपलब्ध कराने का अंतर्धान किया गया है । सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुख्यमंत्री के लिए संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इत्या को अनुसार प्रेषित कर दिया गया है, विभाग के लिए डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर इत्या तत्कालीन डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुख्यमंत्री को अपने पन संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है । अर्थात् जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुख्यमंत्री के पन सं 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिशनर को अर्थात् जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन डिप्टी कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर	राज्य कर	राज्य कर	राज्य कर	राज्य कर	राज्य कर

				मुरादबाद वर्तमान हिटी कमिशनर (विझनुकाशा)
				<p>वाणिज्य कर, इतावा द्वारा पन संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि माल आयोग द्वारा उच्च वात में शुल्काई हेतु नियम दिनांक 03.08.2021 के उपरान्त आपूर्ति अर्थदण्ड रखये। 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुये वात नियमान्वय कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अन्वय में शतपूर्ण शुल्क 5000.00 जमा करने हेतु पुनः पन संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 तथा पुनः पन संख्या 337 दिनांक 31-05-22 व पनांक- 2221 दिनांक 31-03-23 व पनांक 1425 दिनांक 21.11.2023 द्वारा पन प्रेषित किया गया है जमा प्रमाण ग्राह होते ही साक्ष्य मरीदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जावेगा। द्वारा पन प्रेषित किया गया है।</p>
02	राज्य कर श्री दिव्यामृति, 16-07-2018 ₹0 25000.00	अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी विजनार के पन संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को ग्राह हुआ है, के द्वारा जानकारी दियी है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से माननीय सूचना आयुक्त के समस्त प्रत्योदेन पन संख्या- 539 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है जो मात्र एकजुट आयोग में लक्षित है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त गञ्य कर, खण्ड-2 नवीनीकायत महोदय को पनांक 801 दिनांक 17-02-2022 तिथा तथा तथा श्री दिव्यमृति, उपायुक्त राज्य कर, खण्ड-4, अर्थदण्ड को पन सं 140 दिन 09-05-2014 व पन 10-1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्थदण्ड जमा करने हेतु प्रेषित किये गये हैं।	अधिरोपित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित खण्ड के डिओक्रिप्टो को इस स्तर से पन सं 1153 दिन 01-03-2023 प्रेषित किये गये हैं।	शैक्षण्य

03	राज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिशनर(क्र००) अधिकारी, वा०क० गणियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	पुनर्नियोजिता प्रार्थना पत्र मा० ३०३० राज्य सूचना आयोग के समझ पुनर्नियोजिता प्रार्थना सूचना आयोग के समझ डिप्टी कमिशनर(क्र००) अधिकारी, वा०क० गणियाबाद	मा० ३०३० राज्य सूचना आयोग के समझ पुनर्नियोजिता प्रार्थना पत्र पर अन्तिम नियन्याओदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
04	राज्य कर	श्री जेठपीलसिंह, स०नि० / डिप्टी कमिशनर (प्रशा०) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा०क० गणियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	मा० ३०३० राज्य सूचना आयोग के समझ पुनर्नियोजिता प्रार्थना पत्र पर अन्तिम नियन्याओदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा० ३०३० राज्य सूचना आयोग के समझ पुनर्नियोजिता प्रार्थना पत्र पर अन्तिम नियन्याओदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
05	राज्य कर	श्रीमती सारिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डिप्टी कमिशनर (प्रशा०) वा०क० जांसी।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सारिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सभागांवा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिशनर (प्रशा०) वाणिज्य कर, जांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सख्ता-सख्ता- ९७५ द्वारा २३.११.२०१९ से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०/१२४८२/स०/२०११ के मामले में आदेश द्वारा २२.११.२०१२ के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त आ०७० लखनऊ के समझ अपील क्रमांक-१०४००२ दिनांक २०.०३.२०१८ दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है।	श्रीमती सारिता सिंह, ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सभागांवा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिशनर (प्रशा०) वाणिज्य कर, जांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सख्ता-सख्ता- ९७५ द्वारा २३.११.२०१९ से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपत्र मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त , आ०३० लखनऊ द्वारा भी सुनबाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है।
06	राज्य कर	श्री विपिन कुमार सोनकर, सहायक आयुक्त, जौनपुर	02.08.2023	25000.00	धनराशि वसूल नहीं हुयी	अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित।	अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित।	-शून्य-

(कमलेश कुमारी)

उपायुक्त(जनसूचना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।